



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 1212) पटना, सोमवार, 31 दिसम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2018

अधिसूचना संख्या 25/2018-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 279 दिनांक 31 दिसम्बर 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-545, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

1. अनुसूची में, -

- i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

- ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्ट्रेटेड हो या नहीं”;
-------	------------	---

- iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मर्दों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाता हो”।
------	---------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 7266)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

31 दिसम्बर 2018

एस० ओ० 279 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 7266)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

*The 31<sup>st</sup> December 2018*

**Notification no. 25/2018- State Tax (Rate)**

S.O.279, Dated 31<sup>st</sup> December 2018—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.2/2017 – State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 545, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

1. In the schedule,

i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption”;

ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated”;
-------	------------	--

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“153	Any chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State/ Union Territory, or any public servant, by way of public auction by the government, where auction proceeds are used for public or charitable cause”.
------	-------------	---

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4) 7266)]

By the order of Governor of Bihar,

*Dr. Pratima.*

*Commissioner State Tax -cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1212 -571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>